प्रेस नोट
दिनाँक 16.10.2025
जनपद-संतकबीरनगर

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल – कालर हरिप्रकाश द्वारा अनियत्रिंत होकर ट्रक पलट जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.अरूण पुत्र ननकू निवासीगण ग्राम गंगा जमुनी थाना विशेशरगंज जनपद बहराइच) दुर्घटना में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को ईलाज हेतु108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से घायलों को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया ।जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाप- हे0का0 गौतम कुमार, का0 बब्लू कुमार यादव, मुआचा0 राजन प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 282 वाहनों से 3,17,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 16.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 282 वाहनों से 3,17,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 15.10.2025 को मा0न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 4000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

मु0अ0सं0 899/2007 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त फिरोज उर्फ कृष्ण मोहन पुत्र रामभरत निवासी इमिलीडिहा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा वादी श्री कोमल पुत्र दयाराम के पिता के साथ मारपीट, गाली-गलौज करने के सम्बन्ध मे दिनाँक 20.11.2007 को थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा-323 भादवि में 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का सादा कारावास, धारा-325 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2500/-रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का सादा कारावास, धारा-504 भादवि में 500/-रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास, धारा-506 भादवि में 500/-रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का सादा कारावास से भुगतना होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 27 गत्तो में कुल 750 किलो अवैध पटाखों के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के मार्गदर्शन में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत पटाखो के अवैध भण्डारण एवं बिक्री के रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में आज दिनाँक 16.10.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा याकूब होटल गली बरदहिया बाजार के पास से 27 गत्तो में कुल 750 किलो अवैध पटाखों के साथ एक अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र श्री देवराज सिंह निवासी ओरी लाल पुरवा थाना जैदपुर जिला बाराबंकी को घटना में प्रयुक्त एक अदद डीसीएम के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री देवराज सिंह निवासी ओरी लाल पुरवा थाना जैदपुर जिला बाराबंकी।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 27 गत्ता विभिन्न ब्रांड के पटाखे वजन करीब 750 किलो।
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद डीसीएम नं0 UP32KN6393।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त श्रवण कुमार द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अपने इस डीसीएम गाड़ी में पटाखा लिया हूं जिसको लखनऊ से लेकर खलीलाबाद के निवासी पियूष, को देने के लिये लेकर जा रहा हूं। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इसके पूर्व भी मैं इस गाड़ी से पियूष को पटाखा दिया हूं लेकिन उनका दुकान व घर नहीं देखा हूं और न ही उनके पटाखे के लाइसेंस के बारे में मुझे जानकारी है पियूष जरिए अपने मोबाइल से बात करके, आकर कर, रोड पर ही अपना सामान लेकर चले जाते है। इनके पास से बरामद पटाखों का कोई लाइसेंस नही है।

फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उक्त प्रकरण में थाना खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 952/2024 धारा 287 बीएनएस व 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–

1. उ0नि0 अनिल कुमार यादव, उ0नि0 धर्मनाथ यादव, हे0का0 सम्पूर्णानंद यादव, हे0का0 छोटेलाल सिंह व का0 भानु प्रताप सिंह, का0 विनोद कुमार, का0 सुनील पाल, का0 पंकज विश्वकर्मा, का0 अरविन्द कुमार तिवारी, का0 संदीप यादव, का0 सत्येन्द्र यादव।

आज दिनाँक 16.01.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 27 गत्तो में कुल 750 किलो अवैध पटाखों के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार करने व पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाईट

- ***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध के मामले में वांछित 25000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***
- ***एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राज शेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा 25000रु0 के ईनामियां वांछित अभियुक्त अशरफ पुत्र इलियास निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को बसघटा बिड़हर घाट मार्ग से नियमानुसार आज दिनाँक 16.10.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 08.05.2024 को वादी उ0नि0 श्री रवीन्द्र यादव थाना धनघटा द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दी गयी कि रामजानकी मार्ग पर बड़गो गांव के मोड़ से लगभग 600 मीटर पहले एक ट्रक भ्रष्ट हो जाने के कारण खड़ी है, जिसमें गोवंशीय पशु लदे हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 282/2024 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अशरफ पुत्र इलियास निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 सत्यम सिंह, का0 जितेन्द्र यादव।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तः- अशरफ पुत्र इलियास निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0 107/2023 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम, 3/11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम तथा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।